

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./20/2011/609

भोपाल, दिनांक 7/6/11

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-


क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित कार्यालय / जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री अर्चना द्विवेदी, भृत्य (UNIQUE CODE-BO2226)	शा. कन्या उ.मा.वि. ताल जिला रतलाम (DISE CODE - 23200177702)	ग्वालियर

- 2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2011/एक /9, दिनांक 20.04.2011 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2011-12 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाए।
- 3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें, किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।
- 6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

निरंतर/2...


7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पत्रता नहीं होगी ।


(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./20/2011/ 610
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 7/9/11

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. स्टॉफ ऑफीसर, आयुक्त लोक शिक्षण, म.प्र. ।
5. कलेक्टर, जिला रतलाम/ग्वालियर म.प्र. ।
6. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग उज्जैन/ग्वालियर मध्यप्रदेश ।
7. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रतलाम/ग्वालियर म.प्र. ।
9. प्राचार्य, कार्यालय कन्या उ.मा.वि. ताल जिला रतलाम
10. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय) ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
11. श्रीमती अर्चना द्विवेदी, भृत्य कार्यालय कन्या उ.मा.वि. ताल जिला रतलाम ।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गीतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 81-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक : स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./25/2011/662

भोपाल, दिनांक 07/6/11

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित कार्यालय/ जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री विजय चव्हाण, सहायक ग्रेड-2 (UNIQUE CODE-AJ4299)	शासकीय कन्या उ.मा.वि. बदनावर, जिला धार. (DISE CODE - 23250177705)	इन्दौर

- 2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2011/एक/9, दिनांक 20.04.2011 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2011-12 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाए।
- 3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।
- 6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।

निरंतर/2...

7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए । पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए । कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।

7.6.11
(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./25/2011/663
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 07/6/11

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. जिला कलेक्टर, जिला धार/इन्दौर म.प्र. ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश ।
6. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला धार/इन्दौर म.प्र. ।
8. प्राचार्य, शासकीय कन्या उ.मा.वि. बदनावर, जिला धार ।
9. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय) ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
10. संबंधित-श्री विजय चव्हाण, सहायक ग्रेड-2, शा. कन्या उ.मा.वि. बदनावर, जिला धार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023
दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in


क्रमांक : स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./20/2011/829

भोपाल, दिनांक 30/6/11

// संशोधित आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./20/2011/609-610, दिनांक 07.06.2011 के द्वारा श्रीमती अर्चना द्विवेदी, भृत्य शा. कन्या उ.मा.वि. ताल जिला रतलाम का स्थानांतरण ग्वालियर किया गया है, मैं आंशिक संशोधन करते हुए जिला ग्वालियर के स्थान पर "रीवा" जिला पढ़ा जावें ।

शेष शर्तें, संचालनालय के आदेश क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./20/2011/609-610, दिनांक 07.06.2011 के अनुसार यथावत् रहेगी ।



(अशोक बर्णवाल)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30/6/11

पृष्ठांक./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./20/2011/830

प्रातेलिपि:-

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त लोक शिक्षण, म.प्र. ।
5. कलेक्टर, जिला रतलाम/ग्वालियर/रीवा, म.प्र. ।
6. सयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग उज्जैन/ग्वालियर/रीवा मध्यप्रदेश ।
7. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रतलाम/ग्वालियर/रीवा, म.प्र. ।
9. प्राचार्य, कार्यालय कन्या उ.मा.वि. ताल जिला रतलाम
10. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय) ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
11. श्रीमती अर्चना द्विवेदी, भृत्य कार्यालय कन्या उ.मा.वि. ताल जिला रतलाम ।
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश